

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 576/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री छयला ताम्बा.....आवेदक/विक्रेता

सुश्री लिली कुजूर.....क्रेता
बनाग

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
02.03.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री छयला ताम्बा पिता स्व0 हेम्युवा ताम्बा ग्राम-पन्दन टोली, डुंगरा, पो0-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>डुंगरा पंदनटोली</td><td>217</td><td>7</td><td>671</td><td>0.10</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री छयला ताम्बा पिता स्व0 हेम्युवा ताम्बा ग्राम-पन्दन टोली, डुंगरा, पो0-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को खेती-बारी कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता सुश्री लिली कुजूर पिता श्री ईम्मानुएल कुजूर ग्राम-डुंगरा, पंदन टोली, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते हैं।</p> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 1496239499 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 116 दिनांक 08.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम करमा मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ठ सं0 6 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p style="text-align: center;">आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	डुंगरा पंदनटोली	217	7	671	0.10	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)								
डुंगरा पंदनटोली	217	7	671	0.10								

₹

(9)

थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को खेती बारी कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 69 दिनांक 02.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0- JHCST/2023/247177 दिनांक 11.08.2023 व आवासीय प्रमाण पत्र सं0- JHLR/CO/2023/503938 दिनांक 12.08.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 116 दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक श्री छयला ताम्बा पिता स्व0 हेम्बुवा ताम्बा ग्राम-पन्दन टोली, डुंगरा, पो0-फुदी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता सुश्री लिली कुजूर पिता श्री ईम्मानुएल कुजूर ग्राम-डुंगरा, पंदन टोली, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम डुंगरा पंदनटोली के खाता सं0 7, खेसरा संख्या 671, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

02/03/24

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

खूँटी
1. आवेदक की जाति 46 के अंतर्गत भूमि का
576/23-
2. अनुसूचित जाति सं0
3. जिला का नाम एवं पूरा पता
4. जिला का नाम एवं
5. जिला
खूँटी